जनसूचना प्रकरण/अतिमहत्वपूर्ण।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर।

पत्र संख्या:ज0सू0आनलाईन-95/24

दिनांक:दिसम्बर 3 ,2024।

सेवा मे,

पीठासीन अधिकारी
सुनवाई कक्ष सं0-09
मा॰ राज्य सूचना आयोग
7/7/ए, आर0 टी0 आई0 भवन, विभूतिखण्ड
गोमती नगर लखनऊ-226010

महोदय,

कृपया माननीय आयोग के अपील संख्या एस-09/A/0100/2024 (पंजीकरण संख्या: ए-20240100077) अपीलकर्ता अपीलार्थी श्री योगी एमपी सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह पता सुरेकापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर सीटी जनपद–मीरजापुर पिन 231001का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे ।

उक्त जनसूचना के सन्दर्भ में अवगत कराना हैं कि आवेदक द्वारा 5 विन्दूओं पर सूचना मांगी गयी है, जिसके सम्बन्ध मे साइबर थाना को0 शहर एवं थाना को0 कटरा से समस्त सूचना संकलित कर इस कार्यालय के पत्र संख्या:ज॰सू॰आनलाईन -95/2024 की सूचना को आवेदक के पते पर दिनांक 03/12/2024 प्रेषित की गयी है एवं उनके मेल **yogimpsingh@gmail.com** एवं व्हाट्सएप नं0-7379105911 पर दिनांक 03/12/2024 प्रेषित की गयी है। वांछित सूचनाए विन्दूवार निम्न है

1- ईमेल आईडी **spmzr-up@nic.in** को मुख्य आरक्षी द्वारा द्वारा क्रियान्वित किया गया है। आवेदक द्वारा 02.10.2023 को ईमेल आईडी-**yogimpsingh@gmail.com** के माध्यम से पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के ईमेल आईडी **spmzr-up@nic.in** के मेल पर प्रेषित किया गया था,जिसको दिनांक 18.11.2023 को **ps-cybercrime.mi@up.gov.in** को आवश्यक कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित अभियोग सं0 226/2023 धारा 420 भादवि व 66 डी आई टी एक्ट थाना को0 कटरा में पंजीकृत है , जिसकी विवेचना निरीक्षक अरविंद कुमार यादव थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा सम्पादित की गयी है ।प्रकरण थाना को0 कटरा से है जिसके वजह से मेल को आन्तरित नही किया गया है।

2-सूचना देय नहीं है।

3-सूचना देय नहीं है।

4-बिन्दू संख्या 01 के अनुसार।

5-सूचना देय नहीं है।

आवेदक श्री योगी एमपी सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह पता सुरेकापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर सीटी जनपद–मीरजापुर के आईजीआरएस प्रार्थना पत्र के आधार पर विभागीय आन्तरिक प्रकिया के तहत उक्त प्रकरण में दिनांक 20/09/2023 को मु0अ0सं0-226/2023 धारा 420 भादवि व 66सी /66डी आईएक्ट का मुकदमा को0 कटरा जनपद मीरजापुर पर पंजीकृत किया गया है,जिसकी विवेचना निरीक्षक अरविंद कुमार यादव द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना की कार्यवाही की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान वादी का बयान व अन्य साक्ष्य संकलन किया गया तथा बैंक व अन्य स्रोतों से दस्तावेज संकलित करते हुए केस डायरी में 1 से लेकर 19 पर्चा किता किया गया एवं अभियुक्तगण के सम्बन्ध मे जानकारी न मिल पाने के कारण विवेचक के द्वारा विवेचना जरिये अंतिम रिपोर्ट समाप्त किया गया है।

अतः माननीय आयोग से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण का अवलोकन कर अपील को निक्षेपित करने की कृपा करें।

संलग्नक- 6 वर्क
पत्रांक 75/24 दिनांक 03/12/24

3/12/24

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर

रजिस्टर्ड

कार्यालय क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मीरजापुर।

पत्र संख्या: ज0सू0आनलाईन-95/2024 दिनांक-दिसम्बर, 2 /2024

सेवा में,

योगी एमपी सिंह नि0सुरेकापुरम जबलपुर रोड थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांकित- 04.102024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से जनसूचना अधिकार अधि0 2005 के तहत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है। आप द्वारा अपेक्षित सूचना के क्रम में सर्किल नगर के, को0 कटरा, से सूचना प्राप्त की गयी, प्राप्त सूचना /आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

तद्नुसार आप अवगत हो।

संलग्नक-2 वर्क।

(विवेक जावला)
क्षेत्राधिकारी नगर
मीरजापुर।

प्रतिलिपि- जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर को अपने पत्र संख्या – ज0सू0आनलाइन-92/2024 दिनांक 30.11.24 के सन्दर्भ मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमाणित

3/12/24
(ओम प्रकाश सिंह)
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन
मीरजापुर

सेवा मे,

श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर (सहायक जनसूचना अधिकारी),

जनपद मीरजापुर

विषय- आवेदक श्री योगी एम0पी0सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सुरेकापुरम कालोनी जबलपुर रोड थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या ज०सू०अ० - 95 /2024 से सम्बन्धित प्रकरण में आवेदक श्री योगी एम0पी0सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सुरेकापुरम कालोनी जबलपुर रोड थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी वाछित सूचनाये निम्न है।

1. सम्बन्धित सूचना थाना स्थानीय से नही है।
2. सम्बन्धित सूचना थाना स्थानीय से नही है।
3. सम्बन्धित सूचना थाना स्थानीय से नही है।
4. सम्बन्धित सूचना थाना स्थानीय से नही है।
5. सम्बन्धित सूचना थाना स्थानीय से नही है।

सारांश-

आवेदक श्री योगी एम0पी0 सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सुरेकापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर जनपद मीरजापुर के आईजीआरएस प्रा० पत्र के आधार पर विभागीय आन्तरिक प्रक्रिया के तहत प्राप्त उक्त प्रकरण में थाना स्थानीय पर दिनांक 20.09.2023 को मु0अ0सं0 226/2023 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट मुकदमा थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना मुझ निरीक्षक अरविन्द कुमार यादव द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना की कार्यवाही की गयी। दौरान विवेचना बयान वादी मुकदमा व अन्य साक्ष्य संकलन किया गया तथा बैंक व अन्य स्रोतों से दस्तावेज संकलित करते हुए केस डायरी में 1 से लेकर 19 पर्चा किता किये गये दौरान विवेचना अभियुक्तगण के सम्बन्ध में जानकारी न मिल पाने के कारण विवेचना जरिये अंतिम रिपोर्ट समाप्त की गयी।

Ayadav 01-12-24

अरविन्द कुमार यादव
(निरीक्षक अपराध)
थाना कोतवाली कटरा
जनपद मीरजापुर

प्रमाणित

3/12/24

Submitted

(ओम प्रकाश सिंह)
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन
मीरजापुर

SHO
01-12-24

रिपोर्ट थाना साइबर क्राइम जनपद मीरजापुर।

सेवा मे,

क्षेत्राधिकारी नगर/सहायक जनसूचना अधिकारी महोदय,
जनपद मीरजापुर।

विषय- आवेदक योगी एम०पी० सिंह निवासी मोहल्ला सुरेखापुरम, जबलपुर रोड संघमोहाल मीरजापुर द्वारा सूचना अधि0-एसपीएमजेडआर/आर/2023/80020 (95/2024)के सम्बन्ध में मांगी गयी बिन्दुवार आख्या-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आवेदक उपरोक्त मांगी गयी बिन्दुवार आख्या निम्नवत है-

1. बिन्दु संख्या -01 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ईमेल –sp-mzr-up@nic.in दिनांक- 18/11/2024 को समय-17.53 पर थाना स्थानीय द्वारा प्राप्त किया गया था , चुकी प्रकरण से सम्बन्धित अभियोग संख्या-226/2023 धारा- 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली कटरा में पंजीकृत है, थाना स्थानीय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही थी अत: थाना स्थानीय से उक्त ईमेल पर कोई कार्यवाही नही की गयी।

2. बिन्दु संख्या-02 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त ईमेल से सम्बन्धित प्रकरण पर अभियोग कोतवाली कटरा में पंजीकृत है , उक्त अभियोग की विवेचना कोतवाली कटरा से सम्पादित की जा रही है , बिन्दु संख्या -02 का सम्बन्ध कोतवाली कटरा से है।

3. ब्रिन्दु संख्या- 03 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि चुकि ईमेल से सम्बन्धित प्रकरण में अभियोग कोतवाली कटरा में पंजीकृत है अत: उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कार्यवाही का दस्तावेज थाना कोतवाली कटरा से उपलब्ध कराये जाने विषयक है , अतः बिन्दु संख्या-03 का सम्बन्ध कोतवाली कटरा से है।

4. विन्दु संख्या- 03 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ईमेल से सम्बन्धित प्रकरण से सम्बन्धित अभियोग थाना कोतवाली कटरा में पंजीकृत है , प्रकरण से सम्बन्धित कार्यवाही का विवरण थाना कोतवाली कटरा से प्राप्त किया जा सकता है । अतः विन्दु संख्या- 04 का सम्बन्ध कोतवाली कटरा से है।

प्रमाणित

3/12/24
(ओम प्रकाश सिंह)
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन
मीरजापुर

5. बिन्दु संख्या- 05 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रकरण से सम्बन्धित अभियोग कोतवाली कटरा में पंजीकृत है , प्रकरण में प्रयोग किये गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कटरा द्वारा ही दस्तावेजों का आदान – प्रदान सम्भव है , अतः बिन्दु संख्या- 05 का सम्बन्ध कोतवाली कटरा से है।

।

प्रकरण से सम्बन्धित आख्या सादर सेवा मे अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-

3/12/24

(राम अधार यादव)
प्रभारी निरीक्षक
थाना साइबर क्राइम
जनपद मीरजापुर

Cyber Crime Police Station Mirzapur

प्रमाणित

(ओम प्रकाश सिंह)
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन
मीरजापुर